

अतिमहत्वपूर्ण

संख्या: 30 /आठ-1-24-30/2024

प्रेषक,

दुर्गा शंकर मिश्र,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव,
राजस्व/गृह/लोक निर्माण/नगर विकास/ बेसिक शिक्षा/
माध्यमिक शिक्षा/उच्च शिक्षा/परिवहन/पर्यटन/चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण/
चिकित्सा शिक्षा/संस्कृति एवं धर्मार्थ कार्य विभाग, 30प्र0 शासन।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-1

लखनऊ : दिनांक 10 जनवरी, 2024

विषय: अयोध्या में दिनांक 22.01.2024 को प्रस्तावित कार्यक्रम के सम्बंध में दिशा-निर्देश।

महोदय,

अयोध्या में दिनांक 22.01.2024 को प्रस्तावित भगवान श्रीराम की प्राण प्रतिष्ठा सम्बंधी आयोजन के दृष्टिगत मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया निम्नलिखित दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय:-

मुख्य निर्देश:

- (1) बेसिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा एवं उच्च विभाग द्वारा 22 जनवरी, 2024 को सभी स्कूलों/ कॉलेजों में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जाए।
- (2) 22 जनवरी, 2024 को पूरे प्रदेश में शराब की दुकानें बंद रखी जायें।
- (3) 16 जनवरी से 22 जनवरी, 2024, एक सप्ताह तक हर देव मंदिर में राम संकीर्तन आदि का आयोजन किया जाए।
- (4) 22 जनवरी, 2024 को सायंकाल हर घर, घाट/मंदिर में दीपोत्सव का कार्यक्रम किया जाए। अयोध्या में सरयू घाट पर दीपोत्सव का आयोजन एवं तदोपरांत हरी आतिशबाजी की व्यवस्था की जाये।
- (5) सभी सरकारी इमारतों, स्कूल/कॉलेज को भी सजाया जाए।
- (6) कार्यक्रम के सजीव प्रसारण हेतु सूचना विभाग द्वारा अयोध्या में 50 अतिरिक्त स्क्रीन/डिजिटल बोर्ड की व्यवस्था की जाए।
- (7) पूरे प्रदेश के देव मंदिरों में स्क्रीन लगाकर कार्यक्रम का सजीव प्रसारण किया जाए।
- (8) सभी नगरों एवं गाँवों में नगर विकास एवं पंचायतीराज विभाग के माध्यम से 14 से 21 जनवरी के मध्य विशेष सफाई का अभियान चलाया जाये। माननीय मुख्यमंत्री जी 14 जनवरी को

अयोध्या में इसका शुभारम्भ करेंगे। सभी जनपद मुख्यालयों पर उसके बाद 14 जनवरी को माननीय जनप्रतिनिधियों के साथ विशेष सफाई अभियान की शुरुआत की जाये।

- (9) प्रदेश के सभी कार्यालयों में भी 14 जनवरी से 21 जनवरी के मध्य विशेष सफाई का अभियान चलाया जाये। इससे प्लास्टिक एवं गंदगी की सफाई करके परिसर को स्वच्छ एवं सुन्दर बनाया जाये।
- (10) 22 जनवरी को लोगों को प्रेरित कर घर-घर, संस्थानों इत्यादि में ज्योति जलाया जाये।
- (11) प्रदेश के सभी कार्यालयों में 22 से 26 जनवरी तक विशेष प्रकाश की व्यवस्था की जाये।

सुरक्षा सम्बंधी निर्देश:

- (1) गृह विभाग द्वारा शीर्ष प्राथमिकता पर नगर की सुरक्षा व्यवस्था हेतु आई0टी0एम0एस0, नगर निगम एवं पुलिस के माध्यम से सी0सी0टी0वी0/कन्ट्रोल रूम एवं पब्लिक सी0सी0टी0वी0 के माध्यम से पूरे शहर की निगरानी की जाए।
- (2) पब्लिक सी0सी0टी0वी0 के 1500 कैमरों को आई0टी0एम0एस0 से इन्टीग्रेट किया जाए। यलो जोन में 10,715 स्थानों पर चेहरा पहचान ए0आई0 आधारित बडी स्क्रीन आई0टी0एम0एस0 से इन्टीग्रेट किया जाए। ओ0एफ0सी0 लिंक कैमरों की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।
- (3) एन0डी0आर0/एस0डी0आर0एफ0 की टीमों की तैनाती सुनिश्चित की जाए तथा मॉक ड्रिल करायी जाए। एस0डी0आर0एफ0 टीम द्वारा नियमित रूप से नाव द्वारा पेट्रोलिंग की जाए तथा नाविकों के लिए लाइफ जैकेट की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए एवं उन्हें पहचान पत्र निर्गत किया जाए। किसी भी स्थिति में मादक द्रव्यों का सेवन बर्जित किया जाए।
- (4) 20 जनवरी तक 04 क्रूज बोट्स की व्यवस्था सुनिश्चित कर ली जाए।
- (5) 27 जनवरी-15 फरवरी तक रेलवे सुरक्षा बल की विशेष व्यवस्था की जाए।
- (6) विशेष रूप से सभी टेन्ट सिटी में अग्नि सुरक्षा दल की व्यवस्था की जाए क्योंकि काफी बडी संख्या में श्रद्धालु अपेक्षित हैं।
- (7) पुलिस बल द्वारा पूरे शहर पेट्रोलिंग किया जाना सुनिश्चित किया जाए। शहर की सुरक्षा हेतु आई0टी0एम0एस0 व्यवस्था को क्रियाशील रखा जाए। बाहरी व्यक्तियों का पुलिस वेरिफिकेशन कराया जाए।
- (8) एन0टी0 ड्रोन सिस्टम, एस0एस0एफ0 की तैनाती सुनिश्चित की जाए।
- (9) 20 से 22 जनवरी के मध्य अयोध्या में उन्हीं लोगों को आने की व्यवस्था हो, जिन्हें श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के द्वारा 22 जनवरी के लिए आमंत्रित किया गया है। इसके लिए रोड एवं ट्रेन दोनों के सम्बंध में उपयुक्त व्यवस्था की जाये।

स्वास्थ्य सम्बंधी निर्देश:

- (1) चिकित्सा की समुचित व्यवस्था की जाए। आचार्य नरेन्द्र देव विश्वविद्यालय एवं छात्रावास में बाहर से आने वाले डाक्टरों के ठहरने की व्यवस्था सुनिश्चित करायी जाए।

- (2) टेन्ट सिटी में 10 बेडों के प्राथमिक अस्पताल की व्यवस्था की जाए तथा इसमें साफ-सफाई की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।

सफाई सम्बंधी निर्देश:

- (1) मुख्य मार्गों, रेलवे स्टेशन तथा एयरपोर्ट से मन्दिर मार्ग तक वातावरण में धूल गन्दगी इत्यादि न हो, इस पर विशेष ध्यान रखा जाए।
- (2) पूरे शहर में खुली नाली की सफाई घर के कूड़ा निस्तारण की समुचित व्यवस्था की जाए। ड्रेनेज, सीवेज एवं यूटिलिटी डस्ट की सफाई की जाए।
- (3) 14 जनवरी, 2024 से स्वच्छता अभियान चलाया जाए। पूरे शहर में सफाई की समुचित व्यवस्था हेतु नगर विकास विभाग द्वारा 3,800 पुराने तथा 1,500 नये सफाई कर्मियों की तैनाती सुनिश्चित की जाए। इनके भोजन, पानी, बैठने की समुचित व्यवस्था की जाए तथा यह भी सुनिश्चित किया जाय कि उक्त सफाई कर्मी निर्धारित यूनिफार्म में हो।
- (4) एयरपोर्ट से अयोध्या मार्ग को साफ-सुथरा किया जाए।
- (5) पूरे शहर को प्लास्टिक रहित किया जाए। उपयोग किए गए भोजन पैकेट/पानी की बोतलों हेतु डस्टबिन लगाये जाए।
- (6) सभी पेट्रोल पम्पों/ग्रीन कॉरिडोर पर शौचालय स्वच्छ होने चाहिए, इसकी जांच खाद्य विभाग द्वारा सुनिश्चित की जाए।
- (7) सिंचाई विभाग द्वारा नया घाट पर 1.37 कि०मी० तक नदी पर बैरियर बनाया जाए तथा राम की पैडी पर सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।
- (8) लखनऊ/गोरखपुर/प्रयागराज/ वाराणसी से अयोध्या के राष्ट्रीय राजमार्गों को ग्रीन कॉरिडोर के रूप में बनाया जाये जिससे किसी प्रकार का व्यवधान न हो। इन मार्गों पर सफाई की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। इन मार्गों पर मानस/रामायण की चौपाईयों के साथ बनी होर्डिंग्स लगायी जाए।
- (9) निजी भवनों में 18 जनवरी, 2024 से किसी प्रकार का निर्माण कार्य न किया जाए। जिससे मलबा इकट्ठा न हो। जहाँ कहीं मलबा पड़ा हो, उसे तुरन्त हटवा दिया जाये।
- (10) कुम्भ मेला की भौति शौचालयों की साफ-सफाई की उत्तम व्यवस्था की जाए।

अतिथि/श्रद्धालुओं के सम्बंध निर्देश:

- (1) आश्रय स्थलों में बेडों/विस्तरों की संख्या दुगनी की जाए।
- (2) मौसम के हालात को देखते हुए आमंत्रित अति विशिष्ट व्यक्तियों/मीडिया के लिए एक दिन पूर्व ही ठहरहने की उत्तम व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।
- (3) अति विशिष्ट व्यक्तियों के लिए सुरक्षित आवास/ उपयुक्त टेन्ट कॉलोनी की व्यवस्था की जाए।
- (4) रैन बसेरों को क्रियान्वित किया जाए। भीड-भाड वाले क्षेत्रों में अलाव की व्यवस्था हो तथा जरूरतमंदों के लिए कंबलों की व्यवस्था की जाए।

- (5) टैन्ट सिटी पर भोजन उपलब्ध कराये जाने हेतु भण्डारों का आयोजन किया जाए। सब्जी मण्डी में पूर्व से सब्जी का आर्डर दे दिया जाए। शहर में अतिरिक्त खादयान के लिए एफ0पी0एस0 समन्वय स्थापित कर व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।
- (6) 50 मुख्य स्थानों पर पेयजल हेतु वाटर कूलर की व्यवस्था की जाए।
- (7) 250 ट्रिस्ट गाइड, जिसमें ज्यादातर स्थानीय लोग हो, की व्यवस्था की जाए।
- (8) डिजिटल ट्रिस्ट एप्स बन गया है, जिसे इर्मसिव व्यू सहित 14 जनवरी, 2024 को लांच किया जाए।
- (9) राहत आयुक्त कार्यालय से पर्याप्त कंबलों की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।
- (10) प्रयागराज की भाँति 50 एकड़ भूमि पर टैन्ट सिटी का निर्माण यथाशीघ्र सम्पन्न करा लिया जाए।
- (11) कलाकारों को अपने सभी कार्यक्रम करने हेतु मंच की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।
- (12) रामायण होटल के निकट पर्यटन विभाग द्वारा 2,500 व्यक्तियों के लिए निर्मित किए जा रहे टैन्ट सिटी हेतु 15 जनवरी, 2024 के पूर्व साइनेज की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।
- (13) बस स्टैण्ड, स्टेशन एवं एयरपोर्ट, पार्किंग स्थल तथा शहर के अन्य स्थानों पर 'May I Help You' एवं 'Lost and Found' केन्द्र स्थापित करते हुए इनके तहत कुशल कार्मिकों की तैनाती की जाए।

यातायात व्यवस्था के सम्बंध में निर्देश:

- (1) अयोध्या आने के लिए यातायात हेतु परिवहन विभाग द्वारा 933 बसें अनुमन्य की गयी हैं। 100 इलेक्ट्रिक बसों के लिए एस0पी0वी0 गठित हो गयी है, इसके साथ-साथ ई रिक्शा भी सम्मिलित रहेंगे। 22 जनवरी को कार्यक्रम स्थल पर 10,000 व्यक्तियों को पहुंचाने हेतु 200 ई-बसें, गोल्फ कार्ट एवं पिंक आर्टों की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।
- (2) 14 जनवरी, 2024 से अयोध्या नगर बस सेवा प्रारम्भ कर दी जाए।
- (3) 10,000 से अधिक व्यक्तियों के लिए 200 वाहनों का डिप्लाइमेंट किया जाए।
- (4) कार्यक्रम दिवस में शहर में यातायात मार्ग परिवर्तित किया जाए।
- (5) लोक निर्माण विभाग द्वारा मुख्य मार्गों पर बहुभाषा में साईन बोर्ड लगाये जाए।
- (6) 05 मुख्य मार्गों का एन0एच0ए0आई0 के साथ निरीक्षण करने के पश्चात साईन बोर्ड लगाये जाए। राम पथ पर बैरिकेटिंग कराई जाए।

अन्य निर्देश:

- (1) धर्म पथ पर इण्टरलाकिंग तथा दीवारों पर रंग-रोगन का कार्य पूर्ण किया जाना सुनिश्चित किया जाए।
- (2) लोक निर्माण विभाग/अयोध्या विकास प्राधिकरण/नगर निगम द्वारा मुख्य मार्गों पर स्ट्रीट लाईट की समुचित व्यवस्था की जाए। मुख्य सडकों के मध्य स्थापित खम्भों पर फैंसी स्पाइरल लाईट लगायी जाए।

- (3) लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्मित किए जा रहे 09 मार्गों में, जिनमें 04 मार्ग पूर्णता के करीब हैं, को डिजाइन के साथ क्लर किया जाए।
- (4) अयोध्या के कन्ट्रोल रूम में नित्य आधे घण्टे की अन्तर्विभागीय बैठक करायी जाए जिसमें किये गये कार्यों की समीक्षा मण्डलायुक्त द्वारा की जाये एवं अगले दिन की जिम्मेदारी दी जाये जिससे समय से सारे कार्य पूर्ण हो सकें।

भवदीय,

(दुर्गा शंकर मिश्र)
मुख्य सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- (1) आयुक्त, अयोध्या मण्डल अयोध्या।
- (2) राहत आयुक्त, 30प्र0।
- (3) जिलाधिकारी, अयोध्या।
- (4) उपाध्यक्ष, अयोध्या विकास प्राधिकरण।
- (5) नगर आयुक्त, नगर निगम, अयोध्या।

आज्ञा से,

(नितिन रमेश गोकर्ण)
अपर मुख्य सचिव।